फैक्स/ई-मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-1246/छः-पु-2-2017-64(विविध)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
यातायात, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2017

विषयः- सप्ताह का एक दिन (प्रत्येक बुधवार) "हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस" के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली आकस्मिक मृत्यु एवं गंभीर रूप से चोटिल/घायल होने के कारणों के विश्लेषण में यह पाया गया कि अधिकांश वाहन चालक हेल्मेट अथवा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अतः इन तथ्यों आदि को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग एवं गृह विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि सप्ताह का एक दिन (प्रत्येक बुधवार) **"हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस"** के रूप में मनाया जाय, जिससे कि दो पहिया वाहन चालकों को हेल्मेट लगाकर एवं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा सके एवं यथावश्यकता उनकी जांच करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके। इसी सन्दर्भ में परिवहन विभाग के शा0सं0-5268/30-3-17-140एम/2017, दिनांक 15.11.2017 **(प्रति संलग्न)** द्वारा सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को "हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस" के रूप में आयोजित किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग के उक्त शा0दिनांक 15.11.2017 में उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सप्ताह का एक दिन **(प्रत्येक बुधवार) "हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस"** के रूप में आयोजित किये जाने हेतु संयुक्त रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं इसे विज्ञापन यथा-एफ0एम0 रेडियों, टेलीविजन, दैनिक समाचार पत्र, पोस्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित करने का भी कष्ट करें।

संलग्नकः **यथोपरि।**

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

SO.G-4

संख्या-1246(1)/छः-पु-2-2017-64(विविध)/17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
9. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोन/रेन्ज, उ0प्र0।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. परिवहन अनुभाग-3
12. वेबसाइट/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या– S2C8 /30–3–17–140एम/2017

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊःदिनांक : 15 नवम्बर, 2017

विषय : **सप्ताह का एक दिन (प्रत्येक बुधवार) "हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस"** के रूप में मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उनमें मृत व्यक्तियों एवं घायल व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वर्ष 2016 के आंकड़ों तथा यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में कुल 35,612 सड़क दुर्घटनायें हुईं, जिसमें 19,320 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 25,096 व्यक्ति घायल हुए। अधिकतर दो पहिया वाहनों पर सवार व्यक्तियों का हेल्मेट न पहनना एवं चार पहिया वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग न करना ही सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु एवं चोटों का मुख्य कारण है, जबकि दो पहिया वाहन चालकों व उस पर बैठने वाले Pillion Riders को भी हेल्मेट पहनना दिनांक 11.08.2016 से अनिवार्य किया जा चुका है और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाया जाना भी अनिवार्य है।

2– प्रायः यह पाया जा रहा है कि अधिकतर दो पहिया वाहन चालक एवं उसके पीछे बैठने वाले Pillion Riders द्वारा हेल्मेट पहन कर वाहन नहीं चलाया जा रहा है तथा चार पहिया वाहन चालक द्वारा भी सीट बेल्ट लगाकर वाहन नहीं चलाये जा रहे हैं, जिसके कारण वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालकों को गम्भीर चोटें आती हैं अथवा उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उक्त के लिये नागरिकों को जागरूक करना आवश्यक है कि दो पहिया वाहन पर हेल्मेट लगाकर एवं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाया जाय, इसके लिये परिवहन विभाग एवं गृह विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि सप्ताह का एक दिन (प्रत्येक बुधवार) **"हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस"** के रूप में मनाया जाय, जिससे कि दो पहिया वाहन चालकों को हेल्मेट लगाकर एवं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिये जागरूक किया जा सके एवं यथावश्यकता उनकी जांच करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सके।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हुआ है कि कृपया परिवहन विभाग एवं गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में **सप्ताह का एक दिन (प्रत्येक बुधवार) "हेल्मेट एवं सीट बेल्ट दिवस"** के रूप में आयोजित किये जाने हेतु संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं विज्ञापन यथा–एफ0एम0 रेडियो, टेलीविजन, दैनिक समाचार पत्र, पोस्टर एवं पम्पलेट के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

15.11.17

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या–   (1)/30–3–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संज्ञानार्थ।
5– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलायुक्त, द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
7– समस्त जिलाधिकारी, द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
8– पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0।
9– समस्त अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
10– गृह पुलिस अनुभाग–2
11– परिवहन अनुभाग–1, 2 व 4
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15.11.17

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)
विशेष सचिव।

15/11/17

GO 17